

(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 18 मार्च, 2016

का.आ.1155(अ) केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 285खक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयकर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-

1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (सातवाँ संशोधन) नियम, 2016 है और इनको 1 अप्रैल, 2015 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।
2. आय-कर नियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियम कहा गया है), में नियम, 114ड. में, -
 - (i) पार्श्व शीर्षक में, “सूचना विवरणी” शब्दों के पश्चात्, “या वित्तीय संव्यवहार का विवरण” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;
 - (ii) उपनियम (1) में, “वार्षिक सूचना विवरणी” शब्दों के स्थान पर “वित्तीय संव्यवहारों की, यथास्थिति, वार्षिक सूचना विवरणी या विवरण” शब्द रखे जाएंगे ;
 - (iii) उपनियम 4 में, -
 - (I) खंड क में, -
 - (क) “विवरणी” शब्द के स्थान पर जहां कहीं भी वे आते हैं, “विवरणी या विवरण” शब्द रखे जाएंगे;
 - (ख) दोनों परंतुकों में “वार्षिक सूचना विवरणी-प्रशासक” शब्दों और चिन्हों के स्थान पर जहां कहीं भी वे आते हैं, “वित्तीय संव्यवहार की वार्षिक सूचना विवरणी या विवरण - प्रशासक” शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे ;

(II) खंड ख में, -

- (क) लंबी पंक्ति में, “विवरणी” शब्द के स्थान पर “विवरणी या विवरण” शब्द रखे जाएंगे;
- (ख) खंड (ii) में “विवरणी” शब्द के स्थान पर “विवरणी या विवरण” शब्द रखे जाएंगे;
- (iv) उपनियम 7 में “वार्षिक सूचना विवरणी” शब्दों के स्थान पर “वित्तीय संव्यवहार की वार्षिक सूचना विवरणी या विवरण” शब्द रखे जाएंगे;
- (v) इस नियम में, उपनियम (1), (4) और (7) के सिवाय, “विवरणी” शब्द के स्थान पर जहां कहीं भी वह आता है “विवरणी या विवरण” शब्द रखे जाएंगे ।

3. नियमों के परिशिष्ट 2 में, प्ररूप सं. 61क में, -

- (क) “वार्षिक सूचना विवरणी” शब्दों के स्थान पर जहां कहीं भी वे आते हैं “वित्तीय संव्यवहार की वार्षिक सूचना विवरणी या विवरण” शब्द रखे जाएंगे ;
- (ख) “विवरणी” शब्द के स्थान पर जहां कहीं भी वह आता है “विवरणी या विवरण” शब्द रखे जाएंगे।

4. नियमों का नियम 114, इस नियम द्वारा यथासंशोधित 1 अप्रैल, 2015 से 31 मार्च, 2016 की अवधि के दौरान कार्यान्वित विनिर्दिष्ट वित्तीय संव्यवहारों को लागू होगा ।

(अधिसूचना सं.19/2016/फा. सं. 142/28/2012-(एसओ) टीपीएल)

(एकता जैन)

उप सचिव, भारत सरकार

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण भाग 2, खंड 3 उपखंड (i) अधिसूचना सं. का.आ. 969 (अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना सं. का.आ.1146 (अ) तारीख 17 मार्च द्वारा संशोधित किए गए ।